भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 230

जिसका उत्तर 29 नवम्बर, 2021/8 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया गया

बैंक ऋणों को बट्टे खाते में डालना

230. श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह तथ्य है कि बैंकों द्वारा चालू वित्त वर्ष वर्ष के प्रथम नौ महीनों में 1.5 लाख करोड़ रूपये की राशि के ऋणों को बट्टे खाते में डाला गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान किन प्रमुख कॉर्पोरेट के ऋणों को बट्टे खाते में डाला गया था और इन ऋणों की राशि कितनी है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. भागवत कराड)

(क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों और बैंक बोर्डों द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, ऐसे गैर-निष्पादित ऋण जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, चार वर्ष पूरे होने पर पूर्ण प्रावधानीकरण किया गया है, को बट्टे-खाते डाल कर संबंधित बैंक के तुलन पत्र से हटा दिया जाता है। आरबीआई के दिशा-निर्देशों और उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, बैंक अपने तुलन-पत्र को परिशोधित करने, कर लाभ प्राप्त करने और पूंजी का इष्टतम उपयोग करने के लिए अपने नियमित अभ्यास के अंग के रूप में बट्टे-खाते डालने के प्रभाव का मूल्यांकन/पर विचार करते हैं। बट्टे-खाते डाले गए ऋणों के उधारकर्ता चुकौती के लिए उत्तरदायी बने रहते हैं और बट्टे खाते डाले गए ऋण खातों में उधारकर्ता से देय राशि की वसूली की प्रक्रिया जारी रहती है। बैंक विभिन्न उपलब्ध वसूली तंत्रों, जैसे कि सिविल न्यायालयों में या ऋण वसूली न्यायाधिकरण में वाद दाखिला करना, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई करना, भारतीय दिवाला और शोधना अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के तहत मुकदमा दायर करना,परक्रामित निपटान/समझौता एवं गैर निष्पादक आस्तियों की बिक्री के माध्यम से बट्टे-खाते में डाले गए खातों में शुरू की गई वसूली की कार्रवाई करना जारी रखते हैं।

वैश्विक परिचालन के आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के प्रथम छमाही के दौरान 46,382 करोड़ रुपये के ऋण को बट्टे खाते में डाल दिया है।

आरबीआई ने सूचित किया है कि बड़े कारपोरेट घरानों जिनके ऋणों को बट्टे-खाते डाले गए थे, के ब्यौरे के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ङ के प्रावधानों के तहत आरबीआई को ऋण सम्बंधी सूचना को प्रकट करने से प्रतिबंधित किया गया है। धारा 45ङ में प्रावधान है कि किसी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई ऋण सूचना को गोपनीय माना जाएगा और इसे प्रकाशित या अन्यथा प्रकट नहीं किया जाएगा।

*****